



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14632

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी – 533 वर्ष 2026

कुसुम देवी ...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य ...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सौरभ पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., जयब्रत द्विवेदी, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला की दलीलें सुनी गईं।
2. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका में की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 - उप जिलाधिकारी सदर बलिया, जिला बलिया को निर्देश दिया जाए कि मामला संख्या 4948/2023 (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या टी202315090304948), कुसुम देवी बनाम भूमि प्रबंधन समिति, राजस्व संहिता 2006 की धारा 209 (जे) के तहत, निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लिया जाए।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. उपस्थित पक्षों के वकीलों को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2- उप जिला अधिकारी सदर बलिया, जिला बलिया को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले का शीघ्रता से, कानून के अनुसार सख्ती से निर्णय लें, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"